झारखण्ड के मानकी मुण्डा के हक और अधिकार

डॉ० संतोष उराँव
सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग
पी०पी०के० बुण्डू, राँची
ईमेलः santoshoraon50@gmail.com

सारांश

झारखण्ड के जनजातियों का पारम्परिक राजनीतिक व्यवस्था का महत्व एवं इतिहास काफी पुराना है। जब दुनिया आदिवासियों को असभ्य माना जाता था, लेकिन जनजातियों का स्थानीय राजनीतिक इतिहास मौजूद था। राजनीतिक प्रमुख के नेतृत्व में स्वयं को संगठित कर समाज का निर्माण कर लिया था और अपने समाज को व्यवस्थित किया। इस पारम्परिक राजनीतिक व्यवस्था को जो भी बाहरी आक्रमणकारी आये, वह इसे तोड़ने की कोशिश किये या तो उसके महत्व को स्वीकार कर उसका उपयोग अपने अनुरुप प्रयोग करने की कोशिश किया गया है और तो और झारखण्ड छोटानागपुर के जनजाति समुदाय पारम्परिक वंशागत नेतृत्व के माध्यम से व्यवस्थित राज व्यवस्था का भी गठन कर शासन व्यवस्था अपने–अपने क्षेत्र में स्थापित किये, जिसमें छोटानागपुर के मुण्डा जनजाति के लोग मदरा मुण्डा के नेतृत्व में मुण्डा राज का गठन किया, जिसका क्षेत्रफल वर्तमान झारखण्ड के दक्षिणी छोटानागपुर में फैला था।

Reference to this paper should be made as follows:

Received: 27.02.2023
Approved: 21.03.2023

डॉ० संतोष उराँव

झारखण्ड के मानकी मुण्डा के हक और अधिकार

RJPP Oct.22-Mar.23, Vol. XXI, No. I,

pp.111-115
Article No. 15

Online available at *:*
https://anubooks.com/rjpp-2023-vol-xxi-no-1

पलामू प्रमण्डल में चेरो जनजाति के द्वारा शासक के रूप में उभरे और शासन व्यवस्था स्थापित किये, जिन्होंने मुगल शासक मराठा आक्रमणकारियों से लड़कर अपने राज्य को सुरक्षित किया। चेरो ने अपने शासन व्यवस्था का स्वरुप किला बनाकर किया, जहाँ से शासन व्यवस्था का संचालन किया करते थे। व्यवस्थित शासन थी इस तरह की शासन व्यवस्था का इतिहास झारखण्ड के एक प्रमुख जनजाति उराँव जनजाति की राजनीतिक इतिहास मौजूद है, जो कैमूर के पहाड़ियों में स्थित रोहतासगढ़ में किला का निर्माण कर शासन व्यवस्था स्थापित किया, जिसका प्रमुख पारम्परिक वंशागत शासन व्यवस्था के द्वारा नेतृत्व किया करती थी, इन्होंने भी राज्य में किला का निर्माण कर राजधानी का निर्माण किया गया था, जो बाहरी आक्रमणकारी से अपने राज्य को सुरक्षा प्रदान करता था, जिससे मराठा मुगलों द्वारा कभी भी भेद नहीं सका और अपने राज्य में स्वतंत्र पूर्ण राज्य का संचालन करती रही। वहीं ढालभूमगढ़ में भुईयां जनजाति के द्वारा अपने राजा के अधीनस्थ रहकर भुईयां लोग शासित होते थे, इनके द्वारा भी अपने राज्य में किला का निर्माण किया गया था। घाटशिला में कमजोर शासकों से तो अपने राज्य को सुरक्षित रखा, लेकिन जब एक संगठित एवं मजबूत ब्रिटिश शासक के द्वारा जनजातियों पर 1767 में पहला आक्रमण इन्हीं जनजातियों के राज्य में घुसकर इनकी राज्य व्यवस्था को ध्वस्त किया, जबकि इससे पूर्व किसी शासक द्वारा जनजातियों की शासन व्यवस्था को ध्वस्त नहीं कर सका।[1]

जब अंग्रेज भुईयां जनजाति की राज्य व्यवस्था को ध्वस्त कर आगे बढ़े, तो दूसरी हो जनजाति की राज व्यवस्था थी, जिससे हो लैण्ड के नाम से जाना जाता था, जिनके पारम्परिक नेतृत्वकर्ता शासन प्रमुख मानकी–मुण्डा थी, जिससे पीर के प्रमुख के रूप में जाना जाता था, इन्हीं मानकी मुण्डा को शासन प्रमुख माना गया था। मुण्डा गाँव का प्रमुख पीर का प्रमुख मानकी थे, जिसके माध्यम से अपने समाज को संगठित करते थे जो बेहद ही स्वतंत्रप्रिय जनजाति थे। जिन्होंने कभी आक्रमणकारियों के सामने हार नहीं मानी और अपने क्षेत्र को स्वतंत्र पूर्वक विचरण करते थे, लेकिन ब्रिटिश शासक अपना शासन व्यवस्था स्थापित कर जबरन कर वसूलना चाहती थी, लेकिन इनके नेतृत्वकर्त्ता अंग्रेजों के साथ किसी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं थे, जब तक दबाव रहता था, तब तक मानकी मुण्डा अपने प्रजा से प्रति 'हार' चार आना कर वसूल कर देती थी, लेकिन जैसे ही दबाव कम होता था, कर वसूली करना छोड़ देते थे। हो जनजाति अपने पारम्परिक राजनीतिक व्यवस्था एवं नेतृत्वकर्त्ता के हाथो शासित होना चाहते थे। यही कारण है कि ब्रिटिश शासक को हो जनजाति की पारम्परिक शासन व्यवस्था के सामने झुकना पड़ा।

''1834 ई. में नये प्रशासनिक क्षेत्र का निर्धारण कर कोल्हान क्षेत्र का निर्माण किया, जिसमें शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए 1837 में विलकिन्सन रोल एक्ट के तहत पारम्परिक स्वशासन व्यवस्था को मान्यता प्राप्त हुई और यह व्यवस्था सम्पूर्ण ब्रिटिश शासनकाल तक चली, जब तक कि भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, लेकिन स्वतंत्र भारत में भी जनजातियों की क्षेत्रों में शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए ब्रिटिश शासक द्वारा निर्मित कानून का ही

अधिकांश भाग की मान्यता दी गयी, जिसमें विलकिन्सन रोल एक्ट को मान्यता प्रदान की, जिससे की एक संतुलित व्यवस्था स्थापित हो सके''।[2]

लेकिन भारत सरकार द्वारा स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया गया तो पंचायती राज अधिनियम 1959 के द्वारा बिहार सरकार पंचायती राज अधिनियम 1965 के द्वारा इससे समाप्त (लोप) कर दिया गया, लेकिन हो जनजाति के सदस्य के द्वारा कोर्ट की शरण में जाकर इनकी मान्यता पुनः बहाल करवाई। सन् 1974 में जो आज भी कोल्हान में स्थानीय शासन पारम्परिक व्यवस्था कायम है।

झारखण्ड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिला अन्तर्गत कोल्हान एवं पोड़ाहाट अनुमण्डल में मुण्डा मानकी स्वशासन व्यवस्था प्रचलित है। कोल्हान–पोड़ाहाट आदिवासी 'हो' बहुत क्षेत्र है। प्राचीनकाल से 'हो' आदिवासी अपना समाज और गाँव चलाने के लिए एक शासन व्यवस्था बनाया, जिसे मुण्डा–मानकी व्यवस्था कहा जाता है। मुण्डा एक गाँव का मुखिया एवं गाँव के मुखिया को मानकी कहा जाता है, यह तो नपे–तुले शब्द में नहीं कहा जा सकता है कि मुण्डा मानकी व्यवस्था कब से चल रही है।

''ब्रिटिश सरकार के आने से पूर्व सिंहभूम का राज पोड़ाहाट के राजा द्वारा चलाया जाता था। राजा के शासनकाल में सिंहभूम के मूल निवासी 'हो' मुण्डा राजा के नियंत्रण में नहीं थे। सन् 1821 में ब्रिटिश सरकार ने सिंहभूम पर अपना आधिपत्य जमाया और पोड़ाहाट राजा से सिंहभूम क्षेत्र का दक्षिणी हिस्सा छीन कर अपने अधिकार में ले लिया और इस नये क्षेत्र का नाम कोल्हान गवर्नमेंट रखा। ब्रिटिश सरकार ने इस क्षेत्र को प्रशासन हेतु उपायुक्त के अधीन कर दिया। जिसे कोल्हान प्रशासन भी कहा जाता है''।[3]

10 दिसम्बर, 1836 में असुरा ग्राम के जामदार मानकी के साथ ब्रिटिश सरकार का एकरार हुआ था। एकरारनामा के आधार पर कोल्हान क्षेत्र के प्रशासन के लिए मानकी को तथा मुण्डा को अलग–अलग सनद पट्टा निर्गत किया, जिसे अब 'हुक्कमनामा' के नाम से जाना जाता है।

मानकी का हुक्कनामा

1. ''मानकी का पद मारूसी है, नजदीकी मर्द वजीस यदि लायक हो, तो बहाल होने का हक है, लेकिन यदि मानकी बरखास्त किया गया हो, तो मारूसी समाप्त हो जाता है।
2. मानकी अपने पीर के प्रति उत्तरदायी होता है तथा अपने के अन्तर्गत पड़ने वाले सभी ग्रामों के प्रति भी समान रूप से जिम्मेवार है।
3. मानकी अपने क्षेत्र के राजस्व वसूली मुण्डा के द्वारा जमा करने के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि कोई मुण्डा उसके क्षेत्र का निश्चित अवधि पर लगान जमा नहीं करता है, तब मुण्डा के साथ ही मानकी भी उत्तरदायी होता है। मुण्डा द्वारा लगान नहीं देने पर मानकी से राजस्व लगान की वसूली की जाती है।
4. वसूली राजस्व में से मानकी को 10 प्रतिशत नाला (कमीशन) पाने का हक होता है।
5. मानकी का नया बन्दोबस्त करने, छोड़ा हुआ खेत का माल बढ़ाने तथा छोड़ा हुआ जोत की जमीन दूसरे रैयत के साथ बन्दोवस्त करने का हक है।

6. मानकी की मंजूरी लेकर मुण्डा मालगुजारी निश्चित करेगा, जिसका आधा मानकी को, आधा मुण्डा ले सकता है।
7. किसी भी विभाग के पदाधिकारी को अपने क्षेत्र में मदद तथा सहयोग प्रदान करेगा।
8. मानकी अपने इलाके का पुलिस पदाधिकारी है, सरकारी आदेश के मुताबिक पुलिस के रूप में कार्रवाई करेगा।
9. अपने इलाके के अपराधियों को गिरफ्तार कर थाना में सुपुर्द करेगा।
10. अपने इलाके में आपराधिक घटनाओं की सूचना सरकार को देना है। अपराधी को अपने इलाके में शरण देने अथवा छिपाने पर मानकी के विरुद्ध कार्रवाई होगी।
11. इलाका मानकी अपने क्षेत्र में छोटे–छोटे विवादों का निपटारा करेंगे और फैसले की जानकारी उपायुक्त को देंगे।
12. मानकी अपना इलाके के अलावे अन्य इलाकों के मानकी/मुण्डा के साथ मधुर संबंध कायम रखेगा।
13. किसी भी पंचायती में मानकी घूस लेकर कायम एकपक्षीय निर्णय नहीं लेगा और अनावश्यक विलम्ब नहीं करेगा तथा किसी भी सदस्यों को अनावश्यक परेशान नहीं करेगा।
14. इलाकों के सभी मुण्डा सही तथा उचित ढंग से कार्य करते हैं या नहीं, इसकी जानकारी उपायुक्त को देंगे तथा अपराधी प्रवृत्ति के मुण्डा के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु रिपोर्ट देंगे।
15. मानकी अपने हक एवं अधिकार का पालन करेगा। मानकी नालायक तथा हुक्कनामा के शर्त के अनुसार वादा खिलाफी करने, बुरे चाल–चलन के वजह से उपायुक्त महोदय के आदेश पर हटाया जा सकता है''।[4]

मुण्डा का अधिकार एवं हक

1. ''मुण्डा का ओहदा मारूसी है, किन्तु मुण्डा बरखास्त होने पर मारूसी हक समाप्त हो जाता है। नजदीकी मर्द वारिस होने तक एक जोड़ीदार मुण्डा की बहाली होती है।
2. परती जमीन नाबाद सरकारी जमीन सरकार के इजाजत के बिना कोई रैयत आबाद नहीं कर सकता है।
3. गैर–मजरुआ जमीन बन्दोबस्त करने का हक है।
4. निःअंशी फिरारी जमीन को उपायुक्त के आदेश से अपने कब्जे में रखकर बन्दोबस्ती करना है। सावित कास्तकार के रिश्तेदार का पहला हक है, अगर वह नहीं लेगा तो गाँव के पुराने रैयत को, अगर वह भी नहीं लेगा तो सरकार दूसरे रैयतों के साथ बन्दोबस्त कर सकती है।
5. नया बन्दोबस्त जमीन तैयार हो जाने के बाद दोन जमीन 6 साल से 7 साल तक बिना मालगुजारी के रहती है तथा गोड़ा जमीन में मालगुजारी नहीं लगती है, 6–7 साल के

बाद दोन जमीन के लिए सेटलमेंट के बाकी मियाद तक आधी मालगुजारी मुण्डा और आधी मालगुजारी मानकी लेगा।

6. राजस्व वसूली का मुण्डा 16 प्रतिशत, मानकी 10 प्रतिशत तथा तहसीलदार 2 प्रतिशत नाला (कमीशन) लेने का हक है।
7. नये जमीन बन्दोबस्त करने पर मुण्डा उपायुक्त को सूचना देगा।
8. अपने ग्राम में बाहरी व्यक्ति के बसने पर उपायुक्त को सूचना देगा।
9. परती जमीन को बर्बादी से बचाएगा।
10. ग्राम के बाँध, तालाब, नदी से सिंचाई की व्यवस्था करेगा तथा ग्राम के रैयतों से मरम्मति करायेगा।
11. अपने ग्राम के अन्दर किसी भी आपराधिक घटना की जानकारी उपायुक्त महोदय को देंगे तथा चोर–डकैत को पकड़कर थाना को सुपुर्द करेंगे।
12. मुण्डा अपने मौजा का पुलिस अधिकारी है।
13. सड़क के किनारे लगे वृक्षों की देखभाल करेगा''।[5]

उपरोक्त मानकी एवं मुण्डा के अधिकार भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी बरकरार है। इस व्यवस्था को भारतीय संविधान के अनुच्छेद–13 में संरक्षित किया गया है। मुण्डा–मानकियों के अधिकारों को किसी भी कीमत पर कम नहीं किया जा सकता है और ना ही छीना जा सकता है।

संदर्भ

1. कुमार, संजीव. (2010). झारखण्ड परिचय. प्रकाशन लुसियन्ट प्रकाशनः पटना. पृष्ठ **145.**
2. विद्यार्थी, एल०पी०. (1976). द ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया कनसेप्ट. पब्लिशिंग हाऊसः नई दिल्ली. पृष्ठ **258.**
3. वर्मा, उमेश कुमार. (2007). झारखण्ड की जनजातीय समाज. प्रकाशन सुबोध ग्रंथ मालाः राँची. पृष्ठ **209.**
4. बघेला, डी०एस०, सिंह, टी०पी०. (2005). राजनैतिक समाजशास्त्र. विवेक प्रकाशनः जवाहर नगर, दिल्ली. पृष्ठ **252.**
5. सिंह, सुनील कुमार. (2003). झारखण्ड परिदृश्य. प्रकाशन, रीडर्स कॉर्नरः फेजर रोड, पटना. पृष्ठ **153.**